विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
21(क). क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कितने वित्त. विहीन स्कूल प्रदेश में संचालित है एवं इन वित्त विहीन विद्यालयों में कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं?	सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक–मा0शि0प0/परिषद–9/1008, दिनांक 17 फरवरी, 2025 के अनुसार "प्रदेश में वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या– 22048 है तथा इनमें कार्य करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या–224525 है।"
(ख) क्या शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है एवं वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को 200 करोड़ रूपये की विशेष प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई थी ?	जी हॉ। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिये जाने हेतु बजट में रूपये 200.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था। उक्त प्राविधानित धनराशि से स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकगण को विशेष प्रोत्साहन मानदेय दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1157/15–8–2016– 3023/2012, दिनांक 12.09.2016 द्वारा इस प्रतिबन्ध के अधीन व्यवस्था की गई कि **"उक्त विशेष प्रोत्साहन मानदेय शासनादेश दिनांक 10.08.2001 में उल्लिखित प्राविधानानुसार संस्था प्रबन्धतंत्र द्वारा भुगतान किये जा रहे परिलब्धियों के अतिरिक्त (over and above) होगा एवं इसे भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।"**
(ग) क्या वर्तमान में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी कोषागार से मानदेय या विशेष प्रोत्साहन राशि देने की कोई योजना उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है ?	जी नहीं। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में शासनादेश संख्या–EM-1443/15–7–2001–1(191)/2000, दिनांक 10.08.2001 द्वारा सेवा शर्ते निर्धारित हैं, जिसके अनुसार ही वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की परिलब्धियों के भुगतान का दायित्व संस्था प्रबन्धतंत्र का है, इसके अतिरिक्त वित्तविहीन शिक्षकों को अलग से मानदेय या विशेष प्रोत्साहन राशि दिये जाने के संबंध में कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है।
(घ) क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?	जी नहीं।

गुलाब देवी
माध्यमिक शिक्षा मंत्री।